

आवेदन पावती प्रपत्र

(जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप ऋण)

बीसी का नाम _____ बीसी ब्रांच कोड _____

आवेदन की संदर्भ सं.	ग्राहक आईडी
_____	_____

आवेदक का विवरण

टाइपल _____ आवेदक का नाम _____
 वैवाहिक स्थिति _____ पति का नाम _____
 पिता का नाम _____ माता का नाम (वैकल्पिक) _____
 जन्मतिथि (DD/MM/YYYY) _____ उम्र _____ साल _____ लिंग _____
 राष्ट्रीयता _____ धर्म _____ वर्ग _____
 रोज़गार का प्रकार _____ शैक्षणिक योग्यता _____
 वार्षिक घरेलू आय _____ भूमि धारण स्थान _____
 भूमि स्वामित्व _____ दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति _____

संपर्क विवरण

पता _____
 पता _____
 पिन कोड _____ राज्य _____
 मोबाइल नंबर _____

केवाईसी संबंधी जानकारी

प्राथमिक केवाईसी प्रकार _____
 पते का प्रमाण _____ पहचान का प्रमाण _____
 पैन नंबर _____ यदि उपलब्ध हो _____

ऋण का विवरण

ऋण की राशि _____, (_____)
 ऋण अवधि _____ महीने पुनर्भुगतान की आवृत्ति (साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक) _____
 ऋण का उद्देश्य _____ ब्याज दर _____

***FATCA/CRS घोषणा:**

*भारत के बाहर क्षेत्राधिकार में कर प्रयोजन के लिए निवास (हाँ/नहीं) _____

(अगर हाँ, तो निम्नलिखित विवरण दें)

कर पहचान संख्या या समकक्ष _____ टिन विवरण _____

कर क्षेत्राधिकार का देश _____ टिन जारी करने वाला देश _____

जन्म का शहर _____ जन्म का देश _____

परिवार से जुड़ी जानकारी

आवास का प्रकार _____

परिवारिक आय/खर्च की जानकारी

कृषि से आय (₹)	गैर-कृषि आय (₹)	मासिक आय (₹)	वार्षिक आय (₹)

परिवार का वार्षिक खर्च (₹) _____

घरेलू आय (ब्लूरो) - (रुपये में) _____

घरेलू आय विचलन % _____

घरेलू आय विचलन का कारण _____

घोषित दायित्व (रुपये में) _____

बीमा आवेदन सह

अनुरोध प्रपत्र

मैं _____ अपने जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप (जेएलजी) लोन के साथ निम्नलिखित बीमा पॉलिसी के लिए आवेदन करना चाहता/ चाहती हूँ।

- ग्रुप क्रेडिट लिंकड जीवन इंश्योरेंस प्लान का अनुरोध किया _____
मैं शामिल करना चाहूँगा/ चाहूँगी _____ के कार्यकाल के लिए _____ महीना।
- हॉस्पिकैश इंश्योरेंस प्लान का अनुरोध किया _____
मैं शामिल करना चाहूँगा/ चाहूँगी _____ के कार्यकाल के लिए _____ महीना।

नामांकित व्यक्ति का विवरण:

- क्रेडिट लिंकड इंश्योरेंस, यदि ग्राहक द्वारा बीमा का विकल्प चुना गया है

आवेदक

टाइटल	नामांकित व्यक्ति का नाम	लिंग	आवेदक से संबंध	नामांकित व्यक्ति की जन्मतिथि

अभिभावक का नाम (यदि नामांकित व्यक्ति नाबालिग है)

अभिभावक की जन्म तिथि _____ अभिभावक का संबंध _____

अभिभावक का पता _____

पति (दोहरे बीमा के मामले में)

टाइटल	नामांकित व्यक्ति का नाम	लिंग	आवेदक से संबंध	नामांकित व्यक्ति की जन्मतिथि

अभिभावक का नाम (यदि नामांकित व्यक्ति नाबालिग है)

अभिभावक की जन्म तिथि _____ अभिभावक का संबंध _____

अभिभावक का पता _____

- हॉस्पिकैश इंश्योरेंस, यदि ग्राहक द्वारा बीमा का विकल्प चुना गया है

आवेदक

टाइटल	नामांकित व्यक्ति का नाम	लिंग	आवेदक से संबंध	नामांकित व्यक्ति की जन्मतिथि

अभिभावक का नाम (यदि नामांकित व्यक्ति नाबालिग है) _____

अभिभावक की जन्म तिथि _____ अभिभावक का संबंध _____

अभिभावक का पता _____

पति (दोहरे बीमा के मामले में)

टाइटल	नामांकित व्यक्ति का नाम	लिंग	आवेदक से संबंध	नामांकित व्यक्ति की जन्मतिथि

अभिभावक का नाम (यदि नामांकित व्यक्ति नाबालिग है) _____

अभिभावक की जन्म तिथि _____ अभिभावक का संबंध _____

अभिभावक का पता _____

मैं सहमत हूं और समझता/ समझती हूं कि:

- ✓ मेरे द्वारा चुनी गई बीमा की सभी विशेषताओं के बारे में मुझे समझाया गया है।
- ✓ मेरे द्वारा लागू बीमा कवर के लिए ('स्वयं' या 'स्वयं और पति'), कुल बीमा प्रीमियम राशि स्वीकृत ऋण राशि से डेबिट की जाएगी।
- ✓ यह क्रेडिट लिंक्ड बीमा आवेदन किए गए ऋण खाते से जुड़ा होगा।
- ✓ मैं क्रेडिट जीवन बीमा के लिए बीमा प्रीमियम का भुगतान करूंगा/ करूंगी, जिससे 'स्वयं' या 'स्वयं और पति' को बीमा पॉलिसी के कार्यकाल तक बीमा कवर मिलेगा। मृत्यु जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों की स्थिति में, बीमा पॉलिसी के दावा समायोजित राशि सीधे ऋण खाते में जमा की जाएगी। ऋण समायोजन के बाद किसी भी शेष राशि का भुगतान मेरे/हमारे नामितो/व्यक्तियों को किया जाएगा।

बचत खाते के लिए आवेदन सह अनुरोध प्रपत्र

मैं _____ इसके द्वारा, आरबीएल बैंक को मेरा आरबीएल बचत खाता
 _____ खोलने के लिए अधिकृत करता हूं। मैं आरबीएल बैंक से निम्नलिखित सेवाओं के लिए अनुरोध करता/ करती
 हूं।

उद्घोषणा:

- a) मैं इसके द्वारा बैंक को अपना आरबीएल बचत खाता निकटतम आरबीएल बैंक शाखा में 'सिंगल' मोड के साथ खोलने के लिए अधिकृत करता/करती हूं।
- b) मैं आरबीएल बैंक को डिफॉल्ट आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (ईपीएस) लेनदेन सेवाओं के लिए अपने खाते को सक्षम करने के लिए अधिकृत करता/करती हूं।
- c) मैं आरबीएल बैंक को जेएलजी एप्लीकेशन फॉर्म में दिए गए अपने केवाईसी विवरण पर विचार करने के लिए अधिकृत करता/करती हूं।
- d) मैं बैंक की पासबुक जारी करने का विकल्प से इनकार करने के लिए सहमत हूं और समझता/ समझती हूं कि खाता विवरण बीसी शाखाओं में बिना किसी शुल्क के पासबुक अपडेट के बदले प्राप्त किया जा सकता है।

नामांकित व्यक्ति का विवरण:

टाइटल	नामांकित व्यक्ति का नाम	लिंग	आवेदक से संबंध	नामांकित व्यक्ति की जन्मतिथि

अभिभावक का नाम (यदि नामांकित व्यक्ति नाबालिग है) _____

अभिभावक की जन्म तिथि _____ अभिभावक का संबंध _____

अभिभावक का पता _____

घोषणा और सहमति

I. मैं एतद्द्वारा घोषित, सहमत और समझता/समझती हूं कि:

- आय और व्यय के विवरण सहित ऋण के आवेदन के लिए दी गई सभी जानकारी सत्य, सही और सभी मामलों में पूर्ण है और आरबीएल बैंक लिमिटेड ("आरबीएल बैंक") से कोई भी सामग्री जानकारी रोकी / छिपाई गई नहीं है। मैं सहमत हूं कि बैंक को सीधे या किसी तीसरे पक्ष के एजेंट के माध्यम से इसे सत्यापित करने का अधिकार है। मैं ऐसे अतिरिक्त लेखन प्रस्तुत करना चाहता/करनी जो मेरे द्वारा आवश्यक वित्तीय सहायता के संबंध में आवश्यक हो सकते हैं। कोई भी सुविधा जो बैंक मुझे प्रदान करने का निर्णय ले सकता है, वह अपने स्वविवेक पर होगी। मैं उस सुविधा/सुविधाओं के नियमों और शर्तों से बाध्य रहूंगा जो मुझे दी जा सकती हैं।
- मैं एतद्द्वारा आरबीएल बैंक को यूआईडीएआई से अपना व्यक्तिगत विवरण प्राप्त करने और यूआईडीएआई से जनसांख्यिकीय और व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से अपना आधार नंबर / वीआईडी नंबर, बायोमेट्रिक जानकारी और / या वन टाइम पिन (ओटीपी) डेटा (और / या कोई समान प्रमाणीकरण डेटा) प्रदान करने के लिए अपनी सहमति देता हूं और अधिकृत करता/करती हूं।
- मैं राजनीतिक पहचान वाला व्यक्ति नहीं हूं / राजनीतिक पहचान वाले व्यक्तियों से संबंधित नहीं हूं।
- मैं इसके द्वारा बैंक को यह प्रकट करने के लिए अधिकृत करता/करती हूं; (i) मुझसे संबंधित सूचना और आंकड़े; (ii) मेरे द्वारा लाभ/प्राप्त की जाने वाली किसी भी क्रेडिट सुविधा से संबंधित जानकारी या डेटा और (iii) डिफॉल्ट, यदि कोई हो, तो मेरे द्वारा अपने दायित्व के निर्वहन में, जिसे बैंक सही और जरूरी समझे, क्रेडिट इनफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (सीआईबीआईएल) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य एजेंसी को प्रतिबद्ध हो।
- मैं इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मैं 'नीचे' दिए गए खाते के लिए केवल एक हस्ताक्षर चाहता/चाहती हूं। साथ ही, खाता परिचालन के उद्देश्य से, मैं किसी अन्य तरीके से हस्ताक्षर नहीं करूंगा/करूंगी और बैंक को मेरे द्वारा जारी/दिए गए सभी लिखतों/अनुदेशों को स्वीकार करने और उनका सम्मान करने का निर्देश नहीं दूंगा/दूंगी।
- आरबीएल बैंक इस आवेदन के साथ प्रस्तुत तस्वीरों और दस्तावेजों को बनाए रखने का अधिकार सुरक्षित रखता है और मुझे वापस नहीं करेगा। मैं समझता/समझती हूं कि इस ऋण की मंजूरी आरबीएल बैंक के विवेकाधिकार पर है और आरबीएल द्वारा आवश्यक आवश्यक दस्तावेजों और अन्य औपचारिकताओं को निष्पादित करने पर है। यदि मेरा मौजूदा आरबीएल बचत खाता निष्क्रिय/निष्क्रिय है, तो मैं अपने बचत खाते को सक्रिय करने के लिए सहमत हूं।

हां नहीं
- मैं बैंक को अधिकृत करता/करती हूं कि वह समय-समय पर आवेदन पत्र में अपने व्यक्तिगत विवरण का इस्तेमाल विपणन जानकारी भेजने के लिए करे / आरबीएल बैंक द्वारा पेश किए गए उत्पादों, सेवाओं, नियामक अपडेट या प्रचार प्रस्तावों के बारे में सूचित करने के लिए मुझसे संपर्क करे, जो स्वयं और सहयोग से या भागीदारों / तीसरे पक्ष के साथ टाई-अप के माध्यम से पेश किए जाते हैं। नीचे आपकी वरीयता देकर, मैं आरबीएल बैंक को एसएमएस, फोन कॉल और ईमेल के माध्यम से आपसे संपर्क करने की अनुमति देता/देती हूं या अस्वीकार करता/करती हूं।

हां, बैंक मुझसे संपर्क कर सकता है नहीं, बैंक मुझसे संपर्क नहीं कर सकता।
- मैं बैंक को अधिकृत करता/करती हूं कि वह मुझे/हमारी ओर से बिना किसी और विशिष्ट सहमति या प्राधिकरण के, आरबीएल बैंक की समूह कंपनियों/सहयोगियों/संयुक्त उद्यमों को/किसी भी व्यक्ति को, जिसके साथ बैंक ने किसी भी उत्पाद/सेवाओं की पेशकश की गई किसी भी उत्पाद/सेवाओं के विपणन/पेशकश/बिक्री के उद्देश्य से 'सेवाओं/उत्पादों' के प्रावधान के लिए व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया है/करने का प्रस्ताव किया है/करने का प्रस्ताव किया है, बैंक को किसी भी तरह से शेयर, प्रकटीकरण, विनिमय या उपयोग करने के लिए अधिकृत करता/करती हूं।

हां नहीं
- मैं इस बात से सहमत हूं कि जेएलजी द्वारा बैंक के किसी डिफॉल्टर सदस्य के वित्तपोषण के लिए बैंक ऋण का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
- यदि घोषणा झूठी पाई जाती है तो बैंक क्रेडिट सुविधा को रद्द करने या वापस लेने का हकदार होगा।

k) मैं किसी बैंक का डायरेक्टर हूं हां नहीं

बैंक का नाम: _____

मैं आरबीएल बैंक/अन्य बैंक*/आरबीएल बैंक के वरिष्ठ अधिकारी का रिश्तेदार हूं हां नहीं

मैं आरबीएल बैंक का वरिष्ठ अधिकारी हूं हां नहीं

मैं किसी भी इकाई का हिस्सा हूं जिसमें निदेशक / रिश्तेदार भागीदार / गारंटर / इच्छुक पार्टी / कर्मचारी हैं या आरबीएल बैंक के निदेशक मेरी किसी भी क्रेडिट सुविधा के लिए गारंटर हैं: हां नहीं

*अनुसूचित सहकारी बैंकों के निदेशकों, सहायक कंपनियों के निदेशकों/म्यूचुअल फंडों/उद्यम पूँजी निधियों के न्यासियों सहित।

यदि हाँ, तो नीचे दिए गए विवरण का उल्लेख करें: मैं घोषणा करता/करती हूं कि मैं आरबीएल बैंक या यहां निर्दिष्ट किसी अन्य बैंक के निदेशक (ओं) और या वरिष्ठ अधिकारी (अधिकारियों) से संबंधित हूं

क्रम संख्या	निदेशक (ओं) / वरिष्ठ अधिकारी (ओं) का नाम	पद	नाता

घरेलू आय के आकलन के लिए घोषणा: "मैं/हम एतदद्वारा अधिकृत करता/करती हूं और आरबीएल बैंक को अधिकृत करता/करती हूं और सहमति देता/देता हूं कि वह मुझे/हमें बिना किसी सूचना के, आवेदक द्वारा लागू आरबीएल बैंक से ऋण के संबंध में आवेदन पत्र/संबंधित दस्तावेजों में दी गई जानकारी का खुलासा क्रेडिट ब्यूरो और नियामक प्राधिकरणों को करे। मैं/हम पुष्टि करते हैं कि आय और व्यय के विवरण सहित आवेदन पत्र में दिए गए सभी विवरण और जानकारी सत्य, सही और पूर्ण हैं और आरबीएल बैंक से कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी रोकी या छिपाई नहीं गई है।

विशेष	परिवार का सदस्य 1	परिवार का सदस्य 2	परिवार का सदस्य 3	परिवार का सदस्य 4
नाम				
उधारकर्ता के साथ संबंध				

आवेदक का ई-साइन

Date: DD/MM/YY

स्वीकृति पत्र

ऋण खाता संख्या:

आवेदन संख्या:

बीसी शाखा:

बारकोड

प्रिय महोदय/महोदय,

तारीख:

विषय: : जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप ऋण (जेएलजी) ऋण

आरबीएल बैंक को चुनने के लिए धन्यवाद आपके ऋण विवरण इस पत्र की अनुसूची। के रूप में संलग्न फैक्टशीट में उपलब्ध हैं।

ऋणी का नाम		पति/पिता का नाम		ग्राहक आईडी	
समूह का नाम		केंद्र का नाम		बचत खाता संख्या	

आपके आवेदन और क्रेडिट सुविधाओं के प्रावधान के लिए अनुरोध करने वाले आगे के स्पष्टीकरण और पत्राचार के संदर्भ में, हम इस पत्र के साथ संलग्न फैक्टशीट में विस्तृत नियमों और शर्तों पर स्वीकृत ऋण की सलाह देने में प्रसन्न हैं।

कृपया ध्यान दें कि आपकी ग्राहक आईडी हमारे साथ आपके सभी खातों के लिए अद्वितीय है। आपका खाता आपको आपके द्वारा चुने गए खाता प्रकार के आधार पर कई विशेष सेवाएं प्रदान करता है।

हमारे उत्पाद और सेवाएं, नियम और शर्तों और शुल्कों की अनुसूची की जानकारी हमारी वेबसाइट www.rbl.bank.in पर स्थानीय भाषा में उपलब्ध है।

कृपया हमारे साथ अपने खाते में पुनर्भुगतान/भुगतान के लिए केवल आरबीएल बैंक लिमिटेड के अधिकृत व्यक्ति या बैंक द्वारा नियुक्त व्यवसाय प्रतिनिधि के अधिकारियों को भुगतान करें।

भवदीय,

कृते आरबीएल बैंक लिमिटेड

Mayank Rai
Head - Micro Finance Business
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ऋणी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

ऋणी का नाम:

मुख्य तथ्य विवरण (फैक्टशीट)

भाग १ (ब्याज दर और शुल्क/प्रभार)

१	ऋण प्रस्ताव/ खाता संख्या				ऋण का प्रकार					
२	स्वीकृत ऋण राशि (रुपये में)									
३	संवितरण शेड्यूल (i) चरणों में संवितरण या 100% अग्रिम। (ii) अगर यह चरण के अनुसार होता है, तो संबंधित जानकारी वाले ऋण अनुबंध के खंड का उल्लेख करें									
४	ऋण अवधि (महीने)									
५	किश्त की जानकारी									
किश्तों के प्रकार		EPI की संख्या	EPI (₹)	पुनर्भुगतान की शुरुआत, स्वीकृति के बाद						
६	ब्याज दर (%) और प्रकार (स्थिर या अस्थायी या हाइब्रिड)		दर % , प्रकार:							
७	अतिरिक्त जानकारी फ्लोटिंग ब्याज दर के मामले में									
रेफरेंस बैंचमार्क	बैंचमार्क दर (%) (बी)	स्प्रेड (%) (एस)	अंतिम दर (%) आर= (बी) + (एस)	रीसेट की गई आवधिकता1 (महीने में)		रेफरेंस बैंचमार्क में परिवर्तन का प्रभाव (आर' में 25 बीपीएस परिवर्तन के लिए, इसमें परिवर्तन:2)				
				बी	एस	EPI (₹)	EPI की संख्या			
८	शुल्क/प्रभार ^३ (इसमें जीएसटी जैसे कर शामिल हैं)									
		आरबीएल बैंक को देय (ए)		आरबीएल बैंक के माध्यम से किसी तीसरे पक्ष को देय (B)						
		एक-अवधि / आवर्ती	राशि (₹ में) जीएसटी सहित या प्रतिशत (%) जैसा लागू हो	एक-अवधि / आवर्ती	राशि (₹ में) या प्रतिशत (%) जैसा लागू हो					
(i)	ऋण प्रसंस्करण शुल्क									
(ii)	बीमा शुल्क (प्रीमियम) • जीवन बीमा: • होस्पिकेश									
(iii)	वैल्यूएशन शुल्क									

(iv)	अन्य (कृपया बताएं)				
९	सालाना प्रतिशत दर (APR) (%)				
१०	आकस्मिक शुल्कों की जानकारी (₹ या % में, जैसा लागू हो) जिसमें कर/ अन्य वैधानिक शुल्क जोड़े नहीं गए हैं जो सरकार/ आरबीआई के निर्देशों के अनुसार उधारकर्ता से वसूले जा सकते हैं।				
(i)	देरी से भुगतान के मामले में दंड शुल्क, यदि कोई हो				
(ii)	अन्य दंडात्मक प्रभार, यदि कोई हो				
(iii)	फौजदारी शुल्क (ऋण के पूर्व भुगतान के स्थिति में प्रभार),, यदि लागू हो				
(iv)	ऋणों को अस्थायी से स्थायी दर में बदलने और इसके विपरीत करने के लिए शुल्क				
(v)	कोई अन्य प्रभार (कृपया बताएं)				

भाग 2 (अन्य गुणवत्तापूर्ण जानकारी)

१	रिकवरी एजेंट्स की नियुक्ति से संबंधित ऋण समझौते का खंड	
२	ऋण समझौते का खंड जिसमें विवरण दिया गया है शिकायत निवारण तंत्र	
३	नोडल शिकायत निवारण अधिकारी का फोन नंबर और ईमेल आईडी	
४	चाहे लोन हो, या भविष्य में हो सकता है स्थानांतरण के अधीन अन्य आरईएस या प्रतिभूतिकरण के लिए (हाँ/नहीं)	
५	सहयोगी उधार व्यवस्था (जैसे, सह-उधार / आउटसोर्सिंग) के तहत उधार देने के मामले में, निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं:-	
मूल आरईए का नाम और इसके तपोषण अनुपात के साथ		साझेदार आरईए का नाम और इसके वित्तपोषण के अनुपात के साथ
६	डिजिटल ऋण के मामले में, निम्नलिखित विशेष खुलासे सुसज्जित किया जा सकता है:	ब्याज की मिश्रित दर
(i)	RE की बोर्ड द्वारा स्वीकृत नीति के अनुसार, कूलिंग ऑफ/लुक-अप अवधि, जिसके दौरान उधारकर्ता को ऋण के पूर्व भुगतान के लिए दंडित नहीं किया जाएगा	
(ii)	रिकवरी एजेंट के रूप में एलएसपी की भूमिका तथा उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए उसके प्राधिकरण के बारे में जानकारी	

अनुलग्नक B

खुदरा और एमएसएमई क्रृणों के लिए एपीआर गणना का उदाहरण

क्रम संख्या	पैरामीटर	व्यौरा
१	स्वीकृत क्रृण राशि (रूपये में)	
२	क्रृण अवधि (वर्ष/महीने/दिनों में)	
a)	गैर-समतुल्य आवधिक क्रृणों पर मूलधन की भुगतान के लिए देय किश्तों की संख्या	
b)	EPI का प्रकार प्रत्येक EPI की राशि (रूपये में) और EPI की संख्या (उदाहरण, मासिक किश्तों के मामले में ईएमआई की संख्या)	
c)	पूंजीकृत ब्याज के भुगतान के लिए किश्तों की संख्या, यदि कोई हो	
d)	पुनर्भुगतान की शुरुआत, स्वीकृति के बाद	
३	ब्याज दर का प्रकार (स्थिर या अस्थिर या हाइब्रिड)	
४	ब्याज दर	
५	क्रृण की अवधि के दौरान स्वीकृत तिथि पर लागू दर के अनुसार कुल ब्याज राशि ली जाएगी (रूपये में)	
६	फीस/ शुल्क भुगतान (रूपए में)	
A	आरबीएल बैंक को देय	
B	आरबीएल बैंक के माध्यम से तीसरे पक्ष को देय	
७	निवल संवितरित राशि (1-6) (रूपये में)	
८	उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि (1 और 5 का योग) (रूपये में)	
९	वार्षिक प्रतिशत दर- प्रभावी वार्षिक ब्याज दर (प्रतिशत में)	
१०	नियम व शर्तों के अनुसार संवितरण शेड्यूल	
११	किश्त और ब्याज के भुगतान की देय तिथि	

अनुलग्नक सी: ऋण राशि के लिए पुनर्भुगतान अनुसूची। ₹ _____

किंश्त संख्या	कुल राशि (रुपये में)	मूलधन (रुपये में)	ब्याज (रुपये में)	किंश्त (रुपये में)
१				
२				
३				
४				
५				
६				
७				
८				
९				
१०				
११				
१२				
१३				
१४				
१५				
१६				
१७				
१८				
१९				
२०				
२१				
२२				
२३				
२४				

अस्वीकरण: यह एक सांकेतिक पुनर्भुगतान अनुसूची है। वास्तविक संवितरण तिथि और ऋण की अवधि के दौरान किए गए पुनर्भुगतान के आधार पर पहली और आखिरी किस्त बदल सकती हैं।

B. जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप (जेएलजी) का विवरण:

समूह के सदस्य संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से पुनर्भुगतान की तारीख तक अर्जित ब्याज के साथ उक्त ऋण राशि चुकाने के लिए जिम्मेदार हैं।

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	ऋण खाता संख्या	ऋण राशि

जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप (जेएलजी) ऋण के लिए नियम और शर्तें

A. जेएलजी ऋण के लिए विशिष्ट शर्तें:

- मैंने/हमने जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप (जेएलजी) ऋण कार्यक्रम के तहत आरबीएल बैंक लिमिटेड ("बैंक") से क्रेडिट सुविधा ("ऋण") का लाभ उठाया है; मैं संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से ब्याज और अन्य शुल्क/लागत/व्यय के साथ ऋण आवेदन और अन्य संबंधित दस्तावेजों (सामूहिक रूप से "ऋण दस्तावेज" के रूप में संदर्भित) में निर्दिष्ट ऋण चुकाने के लिए उत्तरदायी रहूँगा। ब्याज शेष को कम करने के आधार पर लगाया जाएगा।
- मैं पुष्टि करता/करती हूं कि आरबीएल बैंक ने मुझे नीचे दिए गए के बारे में सचित किया है:
 - 50,000 रुपये से अधिक की ऋण राशि के लिए प्रसंस्करण शुल्क (गैर-वापसी योग्य) लिया जाएगा;
 - बैंक या उसके किसी प्रतिनिधि द्वारा ऋण की मात्रा/स्वीकृति प्रक्रिया (या) किसी भी विचलन/छूट का वादा मेरे/हमारे साथ नहीं किया गया है। इसके अर्तिरिक्त, हमने आरबीएल बैंक के किसी भी प्रतिनिधि को (या) किसी अन्य तीसरे पक्ष को, इस ऋण आवेदन के साथ नकद, वाहक चेक या किसी भी तरह से कोई भुगतान नहीं किया है।
 - मैं इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि आरबीएल बैंक के प्रतिनिधि ने मुझे समझी गई भाषा में सभी उल्लिखित नियमों और शर्तों को समझाया है;
 - इसके अलावा, मैं बैंक को अपने आरबीएल बचत/बचत खाते को ईएमआई के पुनर्भुगतान के लिए डेबिट करने के लिए भी अधिकृत करता/करती हूं, जो ऋण के तहत मेरे द्वारा देय है।
- मैं आरबीएल बैंक को अपने आवासीय या रोजगार/व्यवसाय पते में किसी भी बदलाव या ऐसे किसी भी बदलाव के बारे में लिखित रूप में सलाह दूंगा जो मेरी क्रेडिट योग्यता को प्रभावित कर सकता है। मैं मेरे/हमारे निवास/संपर्क सूचना/रोजगार, नाम आदि में परिवर्तन के संबंध में समय-समय पर बैंक को सूचित करने और ऐसे परिवर्तन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अद्यतन दस्तावेज प्रदान करने का वचन देता/ देती हूं.
- मैं सहमत हूं और अधिकृत करता/करती हूं कि मेरा केवाईसी विवरण, यदि पहले से उपलब्ध है, तो वर्तमान आवेदन में ई-केवाईसी के अनुसार अपडेट किया जाएगा।
- मैं मेरे/हमारे आवेदन की स्थिति, खाता गतिविधि, सेवा कॉल (संग्रह, सलाह और शैक्षिक/सूचनात्मक संदेशों सहित) और नियामक अपडेट से संबंधित एसएमएस अलर्ट/फोन कॉल के साथ-साथ उत्पाद के उपयोग वाले संदेश/कॉल प्राप्त करने के लिए सहमत हूं जिसे बैंक समय-समय पर इस आवेदन पत्र में दिए गए मेरे/हमारे मोबाइल/फोन नंबरों पर भेजेगा/देगा।
- मैं और आरबीएल बैंक और उसके अधिकारियों और निदेशकों को बैंक द्वारा किए गए या झोले गए किसी भी नक्सान क्षति लागत और शुल्क से नक्सान रहित रखने और उसकी भरपाई करने से सहमत हूं और नीचे उल्लिखित हस्ताक्षर वाले उपकरणों और निर्देशों को पूरा करने में मेरे अनुरोध को स्वीकार

पंजीकृत कार्यालय: 1 लेन, शाहुपुरी, कोल्हापुर-416001, महाराष्ट्र, भारत

- करने के कारण बैंक के खिलाफ किसी भी दावे, मुकदमे, कार्यवाही और कार्रवाई के खिलाफ क्षतिपूर्ति करता/करती है।
7. ये नियम और शर्तें ऋण के संवितरण की तिथि से शुरू होंगी, और समूह/केंद्र के सभी ऋणीओं द्वारा संपूर्ण ऋण की पुनर्भुगतान होने तक, या जब तक बैंक द्वारा ही समाप्त किए जाने तक प्रभावी रहेंगी।
 8. ऋण का उपयोग आवेदन पत्र में उल्लिखित उद्देश्य के लिए किया जाएगा और जिसके लिए इसे आरबीएल बैंक द्वारा स्वीकृत किया गया है। ऋणी किसी भी सट्टा/असामाजिक/निषिद्ध उद्देश्य या ऋण आवेदन में बताए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेगा।
 9. ऋणी ऋण पर ब्याज का भुगतान करने के लिए बैंक के साथ अनुबंध करता है और ऋणी द्वारा सभी देय तक अनुसूची। मैं बताए अनुसार हर वर्ष इस तरह के दर पर ऋणी द्वारा बैंक को देय होने वाली इस तरह की राशि का पुनर्भुगतान ऋणी द्वारा किया जाता है। सुविधा पर ब्याज सुविधा के पहले संवितरण की तिथि से लिया जाना शुरू हो जाएगा।
 10. पहली किस्त संवितरण की तारीख और/या अतिरिक्त ब्याज या किसी अन्य समायोजन, यदि कोई हो, के आधार पर भिन्न हो सकती है।
 11. लागत, प्रभार, व्यय, प्रतिबंध प्रभार (अगर कोई हो) पर किसी भी ब्याज सहित सभी ब्याज और अन्य सभी प्रभार दैनिक आधार पर लिए जाएंगे और उसकी गणना 365 (तीन सौ पैसठ) दिनों के एक वर्ष और बीत चुके दिनों की वास्तविक संख्या के आधार पर इनकी गणना की जाएगी।
 12. प्रचलित दर के अनुसार लागू कर और अन्य सरकारी कर, लेवी आदि इन शुल्कों के अतिरिक्त प्रभारित किए जाएंगे। जैसा कि ऊपर बताया गया है, दरें, शुल्क, प्रभार आदि समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन के अधीन हैं। नवीनतम शुल्क के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट www.rbl.bank.in पर जाएं या आरबीएल बैंक प्रतिनिधि से संपर्क करें।
 13. ऋण का भुगतान समयपूर्वक करना और ऋण के नियमों और शर्तों का पालन करना ऋणी की जिम्मेदारी है। समयपूर्वक भुगतान ऋण का सार है।
 14. ऋण का पूर्व-भुगतान ऋणी द्वारा बिना किसी शुल्क के किया जा सकता है।
 15. मैं/हम इस बात से सहमत हूँ कि बैंक मौजूदा ऋण और पुनर्भुगतान इतिहास सहित ऋण से संबंधित सभी जानकारी बैंक की किसी भी समूह कंपनी, अन्य बैंकों, क्रेडिट ब्यूरो, सेवा प्रदाताओं, वैधानिक और नियामक प्राधिकरणों के साथ साझा कर सकता है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि सिविल या इस प्रकार की अधिकृत कोई अन्य एजेंसी बैंक द्वारा खुलासा की गई उक्त जानकारी और डेटा का उस तरीके से उपयोग/संसाधित कर सकती है, जैसा उनके द्वारा उचित समझा जाए। CIBIL या इस प्रकार की अधिकृत कोई अन्य एजेंसी बैंकों, वित्तीय संस्थानों ("एफआई") या अन्य क्रेडिट ग्रांटर या पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को उनके द्वारा तैयार की गई संसाधित जानकारी, डेटा और उत्पादों पर विचार करने के लिए प्रस्तुत कर सकती है, जैसा कि इस संबंध में आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
 16. मैं किसी भी वैधानिक या कानूनी दुर्बलता से पीड़ित नहीं हूँ, और मैं एक बाध्यकारी समझौते में प्रवेश करने में सक्षम हूँ।
 17. मैं पष्टि करता/करती हूँ कि मेरे खिलाफ कोई दिवालियापन/समापन/विघटन कार्यवाही या कोई आपराधिक कायदावाही शुरू नहीं की गई है और/या लंबित नहीं है और मुझे कभी भी किसी अदालत या अन्य प्राधिकारी द्वारा दिवालिया नहीं किया गया है या किसी आदाता, प्रशासक, ट्रस्टी या इस तरह के अधिकारी को हमारी संपत्तियों के लिए नियुक्त नहीं किया गया है।
 18. जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के सदस्य किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं।
 19. आवेदन पत्र में दिया गया मोबाइल नंबर मेरे परिवार के सदस्य का है और मैं स्वीकार करता/करती हूँ और समझता/समझती हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए ऐसे मोबाइल नंबर पर पासवर्ड और पिन प्राप्त करने मैं जोखिम होता है।
 20. बैंक ऐसी प्रकृति की पूछाछ करने या करवाने का हकदार होगा जिसे बैंक ऋणी की साथ के लिए उपयुक्त समझे। बैंक ऋणी से ऐसे प्रत्यय-पत्र मांगने का भी हकदार होगा जो ऋणी की साथ साबित करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।
 21. बैंक, अपने एकमात्र और पूर्ण विवेकाधिकार में, आपको प्रदान किए गए या दिए जाने वाले ऋण की सीमा को नवीनीकृत/बढ़ा सकता है। बैंक इस सुविधा को बंद करने और इसमें निर्धारित किसी भी नियम और शर्तों के गैर-अनुपालन/उल्लंघन के मामले में कोई नोटिस दिए बिना किसी भी संवितरण को रोकने/रोकने का अधिकार सुरक्षित रखता है और समय-समय पर प्रासंगिक दस्तावेजों में भी या बैंक को प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी/विवरण गलत पाया जाता है या बैंक की राय में किसी भी विकास या स्थितियों के मामले में, इस तरह की निरंतरता या संवितरण से इसके हित के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है। बैंक का निर्णय अंतिम और ऋणी पर बाध्यकारी होगा।
 22. ऋणी बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना अपने किसी भी अधिकार, कर्तव्य या दायित्व को सौंपने या स्थानांतरित करने का हकदार नहीं होगा। ऋणी स्पष्ट रूप से पहचानता है और स्वीकार करता है कि बैंक पूरी तरह से हकदार होगा और उसके पास इस मंजूरी पत्र/सुविधा को किसी भी तरीके से, संपूर्ण या आंशिक

पंजीकृत कार्यालय: 1 लेन, शाहुपुरी, कोल्हापुर-416001, महाराष्ट्र, भारत

रूप से बेचने, सौंपने या स्थानांतरित करने या अन्यथा बेचने की पूरी शक्ति और अधिकार होगा, और ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों पर जो बैंक तय करे, (क्रेता की ओर से उधारकर्ता के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए बैंक को अपनी शक्ति बनाए रखने के अधिकार को सुरक्षित रखने सहित), समनुदेशिती या हस्तांतरणकर्ता) और उधारकर्ता को किसी भी और संदर्भ में सूचना के बिना बैंक की पसंद के किसी भी तीसरे पक्ष को क्रृणी का कोई या सभी बकाया देय। ऐसी कोई कार्रवाई और ऐसी कोई बिक्री, समनुदेशन या अंतरण उधारकर्ता को ऐसे तृतीय पक्ष को अनन्य रूप से लेनदार के रूप में या बैंक के साथ संयुक्त लेनदार के रूप में, जैसा भी मामला हो, स्वीकार करने के लिए बाध्य करेगा। इस संबंध में कोई भी लागत, वाहे वह बिक्री, समनुदेशन या हस्तांतरण या अधिकारों के प्रवर्तन और बकाया की वसूली के कारण हो, क्रृणी के खाते में होगी।

23. क्रृणी (आं) बैंक और/या उसके प्रतिनिधियों के साथ परस्पर रूप से सहमत निर्दिष्ट स्थान पर बैठकों/शिविरों में भाग लेंगे। यदि क्रृणी लगातार दो या अधिक अवसरों पर बैठक में उपस्थित नहीं होता है, तो बैंक और/या उसके प्रतिनिधि क्रृणी द्वारा बैंक को देय और भुगतान योग्य सभी बकाया राशियों को एकत्र करने के लिए क्रृणी के निवास स्थान/ कार्यस्थल पर जा सकते हैं।
24. क्रृणी आगे इस बात से सहमत है कि बैंक किसी भी समय और समय-समय पर ब्याज की दर, और/या प्रभारित ब्याज आदि की आवधिकता आदि में परिवर्तन करने का हकदार होगा, जैसा कि यहां उल्लेख किया गया है, उसे बैंक की वेबसाइट (www.rbl.bank.in) या स्थानीय समाचार पत्रों में प्रदर्शित करके या संचार के किसी अन्य माध्यम से जो भी बैंक को उचित लगे क्रृणी को ऐसे परिवर्तनों के बारे में अधिसूचित करेगा और उसके बाद परिवर्तित दर/शेष पर ब्याज प्रभारित करने का हकदार इस प्रकार है मानो वह क्रृण दस्तावेजों का हिस्सा हो। क्रृणों पर प्रभारित की जा रही ब्याज दर के संबंध में, बैंक द्वारा समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मास्टर निदेश का अनुपालन किया जाएगा।
25. बैंक द्वारा तय की गई बीमा पॉलिसी को सरेंडर करने की स्थिति में, मैं/हम बैंक को हमारे द्वारा नए क्रृण खाते में देय भुगतान योग्य राशि के सरेंडर को लागू करने के लिए अधिकृत करते हैं।
26. डिफॉल्ट की स्थिति में, आरबीएल बैंक के पास किसी भी एक क्रृणी द्वारा भुगतान न करने पर अन्य समूह / केंद्र के सदस्यों से वसूली का अधिकार है।
27. निम्नलिखित में से कोई भी घटना इन नियमों और शर्तों के तहत 'डिफॉल्ट की घटना' का गठन करेगी:
 - a. अगर क्रृणी इस जेएलजी सुविधा के तहत यहां निर्धारित समय पर और यहां निर्दिष्ट तरीके से या इसके अनुसरण में निष्पादित किसी भी दस्तावेज की शर्तों के अनुसार मूलधन या ब्याज या अन्यथा देय राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं;
 - b. अगर क्रृणी इस जेएलजी सुविधा के तहत किसी भी अन्य अनुबंध, शर्तों या समझौतों या क्रृणी और बैंक के बीच किसी अन्य समझौते के प्रदर्शन में चूक करते हैं
 - c. अगर क्रृणी द्वारा बैंक को क्रृण के लिए अपने क्रृण आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी या किसी भी वर्णन को भ्रामक या गलत पाया जाता है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य/ जानकारी को छुपाया या नहीं बताया जाता है।
 - d. यदि क्रृण लेने वाला आम तौर पर वित्तीय कठिनाइयों के कारण या किसी डिफॉल्ट के कारण अपने क्रृणों का भुगतान करने में असमर्थ है, या अपने लेनदारों के लाभ के लिए एक सामान्य असाइनमेंट करता है या समझौता या स्वीकार करता है या भुगतान करने का आदेश दिया जाता है और इस तरीके की देनदारी का भुगतान नहीं किया जाता है (बशर्ते कि संदेह से बचने के लिए इस उप-खंड में किसी भी क्रृणग्रस्तता का कोई संदर्भ नहीं होगा इसमें कोई भी क्रृणग्रस्तता शामिल है जिस पर विवाद हो रहा है और जिसके संबंध में क्रृणी के खिलाफ ऐसी क्रृणग्रस्तता का भुगतान करने के लिए कोई अदालत का आदेश नहीं दिया गया है);
 - e. क्रृणी द्वारा दी गई कोई भी गारंटी या को क्रृणी पर देय होने और कहे जाने पर नहीं छोड़ा जाता है
 - f. अगर क्रृणी बैंक द्वारा आवश्यक जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता है।
 - g. अगर क्रृणी उस व्यवसाय को चलाना बंद कर देता है या बंद करने की धमकी देता है जो उसने बताई गई तिथि पर किया था;
 - h. अगर क्रृणी कोई कार्रवाई करता है या कोई कानूनी कार्यवाही शरू की जाती है या इनके लिए अन्य कदम उठाए जाते हैं: (i) क्रृणी पर निर्णय लिया जाना है या उसे दिवालिया या क्रृण चकाने में असमर्थ पाया जाता है, या (ii) क्रृणी या उसके उपक्रम, एसेट और संपत्ति के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए परिसमाप्त, व्यवस्थापक, द्रस्टी या प्राप्तकर्ता या इसी तरह के अधिकारी की नियुक्ति की जाती है;
 - i. अगर क्रृणी इस क्रृण को परित्याग करता है या इस क्रृण को परित्याग करने के इरादे से कोई कार्य या बात करता है;
 - j. अगर कोई ऐसी घटना होती है जो बैंक की राय में बैंक के हित के प्रतिक्रिया है या बैंक की एकमात्र राय में क्रृणी की वित्तीय स्थिति या इस क्रृण के तहत उसके सभी या किसी भी दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित करने की संभावना है और इस जेएलजी की किसी भी शर्त का पालन करने की संभावना है।

- k. अगर ऋणी किसी अन्य उद्देश्य के लिए ऋण या उसके किसी भाग का दुरुपयोग करता है, जिसके लिए ऋण स्वीकृत किया गया है।
- l. अगर इस जेएलजी ऋण के साक्ष्य में निष्पादन, वितरण, वैधता, प्रवर्तनीयता या स्वीकार्यता के संबंध में ऋणी द्वारा आवश्यक सरकारी या सार्वजनिक पंजीकरण के साथ या घोषणा के साथ या सरकारी या सार्वजनिक पंजीकरण के लिए कोई सहमति, प्राधिकरण, अनमोदन या लाइसेंस या घोषणा या ऋणी द्वारा अपने दायित्वों के प्रदर्शन को बैंक के लिए अस्वीकार्य तरीके से संशोधित किया जाता है या इसे प्रदान नहीं किया जाता है या रदद या समाप्त नहीं किया जाता है या समाप्त हो जाता है।
28. यदि ऊपर निर्दिष्ट घटनाओं में से एक या अधिक घटनाएं हुई हैं, तो बैंक ऋणी को एक लिखित सूचना द्वारा मल्धन और ऋण पर सभी अर्जित ब्याज की घोषणा कर सकता है जो ऋणी द्वारा इस जेएलजी उधार और/या किसी अन्य समझौते के संदर्भ में देय हो सकता है, दस्तावेज, ऋणी और बैंक के बीच मौजूद होने के साथ-साथ अन्य सभी शुल्क और देय देय राशि ऐसी घोषणा किसी बात के होते हुए भी देय और तत्काल प्रवर्तनीय हो जाएगी।
29. बैंक ऋण के संबंध में बैंक द्वारा किए गए किसी भी अन्य शुल्क या लागत या दावों को ऋणी से वसूल करने का भी हकदार होगा।
30. ऋणी, बैंक के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक को किसी भी हानि, लागत, प्रभार या व्यय के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा और बैंक को भगतान और प्रतिपूर्ति करेगा, जिसे बैंक डिफॉल्ट की घटना के परिणामस्वरूप या अन्यथा ऋण के संबंध में बनाए रखने या किए गए होने के रूप में प्रमाणित करेगा।
31. ऋणी बैंक को किसी भी घटना के होने के बारे में सूचित रखेगा जिसका उसके व्यवसाय या लाभ पर पर्याप्त प्रभाव पड़ने की संभावना है। उदाहरण के लिए, यदि मासिक आय बैंक को दर्शाई गई आय से काफी कम है, तो ऋणी तदनुसार स्पष्टीकरण और उठाए जाने वाले प्रस्तावित उपचारात्मक कदमों के साथ बैंक को सूचित करेगा।
32. कि ऋणी ने सभी सार्वजनिक मांगों जैसे आयकर और अन्य सभी करों और राजस्व का भुगतान किया है जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार को या किसी स्थानीय प्राधिकरण को देय हैं और वर्तमान में ऐसे करों और राजस्व का कोई बकाया नहीं है।
33. मैं/हम खाता खोलने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करना स्वीकार करते हैं और इसे स्वीकृति पत्र की स्वीकृति के लिए एक पावती के रूप में माना जाएगा और तदनुसार स्वीकृति पत्र में ई-प्रमाणीकरण की तिथि और समय की मुहर दर्ज की जाएगी।
34. आपके द्वारा देय किस्त ऋण कार्ड में बताई जाती है।
35. ऋणी ऐसे सभी शुल्कों, शुल्कों और करों (ब्याज, स्टैम्प शुल्क और अन्य करों सहित, यदि कोई हो) को वहन करेगा, जो समय-समय पर किसी भी सरकार या अन्य प्राधिकरण द्वारा कानून की मंजूरी के साथ लगाए जा सकते हैं, जो ऋण से संबंधित या उसके संबंध में कानून की मंजूरी के साथ लगाए जा सकते हैं। स्टैम्प इयूटी, बीमा प्रीमियम, संग्रहण/वसूली प्रभार, वकील शुल्क और ऋण के संबंध में उत्पन्न होने वाले अन्य प्रभार, यदि कोई हो, जैसे सभी आकस्मिक व्यय ऋणी द्वारा वहन किए जाएंगे।
36. ऋण की अवधि के दौरान किसी भी समय, ऋणी को बिना किसी पूर्व सूचना के, बैंक अपने विवेकाधिकार में, ऋण को रद्द कर सकता है और किसी भी सवितरण को रोक सकता है। बैंक उधारकर्ता को लिखित नोटिस द्वारा और ऋण की शर्तों के तहत उपलब्ध अपने अधिकारों और उपायों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, ऋणी को सुविधा के संबंध में ऋणी की सभी देयराशियों का भुगतान करने और/या सेट-ऑफ के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए कह सकता है। नियम और शर्तों के सभी प्रावधान पूरी तरह से लागू और प्रभावी रहेंगे जैसा कि यहां विशेष रूप से प्रदान किया गया है, जब तक कि ऋणी द्वारा सभी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है।
37. ऋण भारतीय कानूनों और शहर के न्यायालयों के अनुसार शासित होगा जहां बैंक ऋण खाता बनाए रखता है और/या जहां ऋण वितरित किया गया है, उसका अनन्य अधिकार क्षेत्र होगा। उपर्युक्त के बावजूद, बैंक किसी अन्य शहर में किसी अन्य न्यायालय, फोरम या ट्रिब्यूनल में कार्यवाही शुरू करने/फाइल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसका इस मामले पर अधिकार क्षेत्र भी हो सकता है और ऋणी बैंक के इस अधिकार के लिए सहमति देता है।
38. इसके अंतर्गत कोई भी नोटिस, मांग, बयान या संचार (लिखित या इलेक्ट्रॉनिक किसी भी रूप में) बैंक के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप से वितरित किया जाएगा और डिलीवरी की तारीख या ऋणी के अंतिम जात पते पर वितरित करने का प्रयास करने पर प्रभावी होगा।
39. इसके अलावा, मैं इसके द्वारा पुष्टि करता हूं और स्वीकार करता हूं कि बीमा प्राप्त करने का विकल्प मेरे अपने लाभ के लिए है और बैंक ने सुविधा प्रदान करने के लिए पूर्व शर्त के रूप में बीमा पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए किसी भी जबरदस्ती, दबाव या अनुचित प्रभाव का प्रयोग नहीं किया है। मृत्यु जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों की स्थिति में, बीमा दावा निपटान राशि (जैसा लागू हो) बैंक द्वारा सीधे ऋण खाते में जमा की जाएगी। ऋण समायोजन के बाद किसी भी शेष राशि का भुगतान आवेदक के नामितों/दाताओं को किया

जाएगा। यदि आपने बीमा का विकल्प चुना है, तो कृपया ध्यान दें कि बीमा का प्रमाण पत्र एसएमएस बिटली लिंक के माध्यम से साझा किया जाएगा।

40. समूह जीवन सुरक्षा पॉलिसी की जोखिम प्रारंभ तिथि और प्रभावी तिथि ऋण के संवितरण की तारीख से होगी।
41. उचित अभ्यास कोड के लिए कृपया देखें: <https://www.rbl.bank.in/static-pages/fair-practice-code-in-regional-languages>
42. **आईआरएसीपी मानदंडों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न**

- a. 'देय' शब्द का अर्थ क्या है?

'देय' शब्द का अर्थ है, ऋण खाते पर लगाया गया मूलधन/ब्याज/कोई शुल्क जो ऋण सुविधा की मंजूरी की शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर देय है।

- b. 'अतिदेय' शब्द का अर्थ क्या है?

'अतिदेय' का अर्थ है ऋण खाते पर लगाया गया मूलधन/ब्याज/कोई शुल्क जो देय है, लेकिन क्रेडिट सुविधा की मंजूरी की शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि को या उससे पहले भुगतान नहीं किया गया है।

- c. ऋण देने वाली संस्था के साथ ऋण के संदर्भ में 'अतिदेय' क्या है?

किसी ऋण सुविधा के अंतर्गत ऋणदात्री संस्था को देय कोई राशि अतिदेय होती है यदि उसका भुगतान ऋणदात्री संस्था द्वारा निर्धारित नियत तारीख को या उससे पहले नहीं किया जाता है।

- d. स्ट्रेस्ड अकाउंट क्या है?

ऋणी ओं को ऋण लेने से पहले सहमति की शर्तों के अनुसार आवधिक अंतराल पर ईएमआई/किश्त/ब्याज का भुगतान करना आवश्यक है। यदि ऐसी ईएमआई/किश्त/ब्याज देय राशि का भुगतान सहमत शर्तों पर नियत तारीख को या उससे पहले नहीं किया जाता है, तो ऐसे खाते को 'स्ट्रेस्ड अकाउंट' कहा जाता है।

- e. विशेष उल्लिखित खाता (एसएमए) क्या है?

एक ऋण खाता जिसमें कोई परेशानी दिखाई देती है, जैसा कि बकाया राशि के भुगतान में चूक से स्पष्ट होता है, को 'विशेष उल्लेख खातों (एसएमए)' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। ऐसे खातों को यदि 90 दिनों के भीतर नियमित नहीं किया जाता है तो उन्हें 'गैर निष्पादित संपत्ति (एनपीए)' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

- f. एसएमए को कैसे वर्गीकृत किया जाता है?

एसएमए को निम्नलिखित उप-श्रेणियों के तहत निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

एसएमए/एनपीए श्रेणियां	वर्गीकरण के लिए आधार - मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि जो पूरी तरह या आंशिक रूप से अतिदेय हो।
एसएमए-0	30 दिनों तक
एसएमए-1	30 दिन से अधिक और 60 दिन तक
एसएमए-2	60 दिन से अधिक और 90 दिन तक
एनपीए	90 दिनों से अधिक

- g. नॉन-परफॉर्मिंग एसेट क्या हैं?

ऐसी ऋण सुविधा/सुविधा में जहां नीचे दर्शाए अनुसार दबाव/अपव्यय/कमियां देखी जाती हैं, ऐसे ऋणी खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

- i) सावधि ऋण के संबंध में ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहती है।

- h. एसएमए-0, एसएमए-1, एसएमए-2 और एनपीए के रूप में ऋण के वर्गीकरण के लिए उदाहरण:

- i) उन खातों के संबंध में जहां ईएमआई/किस्तें देय हैं:

उदाहरण: यदि ऋण खाते की देय तिथि 31 मार्च, 2022 है और ऋण देने वाली संस्था द्वारा इस तिथि के लिए अंतिम प्रक्रिया शुरू होने से पहले पूर्ण बकाया राशि प्राप्त नहीं होती है, तो अतिदेय की तिथि 31 मार्च, 2022 होगी और खाते को 31.03.2022 को एसएमए-0 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। यदि यह अतिदेय बना रहता है, तो 30 अप्रैल, 2022 को दिन - अंत की प्रक्रिया चलने पर, यानी लगातार अतिदेय होने के 30 दिन पूरे होने पर, इस खाते को एसएमए-1 के रूप में टैग किया जाएगा। उसी प्रकार, उस खाते के लिए SMA-1 के वर्गीकरण की तारीख 30 अप्रैल 2022 होगी। इसी तरह, यदि खाता अतिदेय बना रहता

है, तो इसे 30 मई, 2022 को दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर एसएमए -2 के रूप में टैग किया जाएगा और यदि आगे भी अतिदेय बना रहता है, तो इसे 29 जून 2022 को दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

- i. किस अवधि में ऋणदाता संस्थान खातों को एसएमए या एनपीए के रूप में वर्गीकृत करते हैं? ऋणदाता संस्थान दिन के अंत की प्रक्रिया के दौरान दैनिक आधार पर खातों को एसएमए/एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं।
- j. क्या ऋणी के सभी ऋण खातों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उसका एक ऋण खाता एनपीए हो जाता है? हां, एनपीए वर्गीकरण ऋणी के अनुसार है और खातावार नहीं है। इसलिए यदि ऋणी के एक ऋण खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो ऋणी के अन्य सभी ऋण खातों को भी एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- k. क्या दिनों के दौरान भुगतान/जमा की गई राशि को एनपीए अंकन प्रक्रिया के दौरान माना जाता है? दिन के अंत की प्रक्रिया से पहले प्राप्त क्रेडिट को परिसंपत्ति वर्गीकरण प्रक्रिया शुरू करते समय चूक की गणना के लिए माना जाता है। बाद में प्राप्त किसी भी क्रेडिट को अगले दिन की रसीद के रूप में माना जाता है।
- l. एनपीए के रूप में वर्गीकृत होने के बाद ऋणी खातों को नियमित स्थिति में कैसे अपग्रेड किया जाता है? एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों को केवल ऋणी के सभी ऋण खातों के नियमितीकरण और ऋणी खाते की समीक्षा/नवीकरण और स्टॉक और बुक ऋणों से संबंधित परिचर अनियमितताओं के सुधार पर ही मानक परिसंपत्ति में अपग्रेड किया जाएगा।
- m. यदि खाता मुश्किल/एनपीए में चला जाता है तो ऋणी पर क्या प्रभाव पड़ता है? नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को समय-समय पर बड़े ऋण (सीआरआईएलसी), क्रेडिट सूचना कंपनियों आदि की केंद्रीय रिपोजिटरी सूचना को मुश्किल/डिफॉल्ट/एनपीए की रिपोर्ट करनी होती है जो ऋणी के क्रेडिट इतिहास और परिचर नतीजों को प्रभावित करते हैं।
(नोट: यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऊपर बताई गई उपभोक्ता शिक्षा की सामग्री प्रकृति में उदाहरणात्मक है और इस तरह, आरबीआई द्वारा प्रदान किए गए आईआरएसीपी मानदंड और वर्गीकरण समय-समय पर कार्यान्वयन के लिए मान्य होंगे)

B. बचत खाते (खाता) के लिए अतिरिक्त नियम और शर्तें:

1. खाता बैंक द्वारा प्रदान किया जाने वाला शून्य शेष (पूर्ण केवाईसी) बचत खाता है।
2. इन खातों के लिए पासबुक/चेकबुक/डिबिट/एटीएम कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सुविधा जारी/सक्षम नहीं हैं।
3. निकासी पर्ची का उपयोग करके नकद निकालने की अनुमति खाताधारक द्वारा स्वयं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दी जाती है। ऐसी निकासी की सीमाएं बैंक द्वारा समय-समय पर तय की जाती हैं।
4. बैंक द्वारा अनुरोध पर और बिना किसी शुल्क के खाते का विवरण प्रदान किया जाता है।
5. बचत खाता ब्याज का भुगतान बैंक द्वारा समय-समय पर घोषित दरों पर दैनिक समाप्त शेष पर त्रैमासिक रूप से किया जाता है। बचत बैंक ब्याज दरों में किसी भी परिवर्तन की सूचना बैंक द्वारा दी जाएगी।
6. मैं/हम सहमत हैं कि मेरे द्वारा खोले गए बचत खाते में आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) लेनदेन के लिए डिफॉल्ट सेवाएं सक्षम होंगी। अगर मैं इस सेवा का इस्तेमाल और नहीं करना चाहता तो मैं बैंक को एक अनुरोध करूँगा।
7. ग्राहक विवरण की सुरक्षा और गोपनीयता और खाते से संबंधित या जुड़ी ऐसी अन्य वस्तुओं के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। बैंक पर कोई दायित्व नहीं उत्पन्न होगा यदि इनमें से कोई भी विवरण ग्राहक द्वारा अनधिकृत कर्मियों के साथ साझा किया जाता है या उन मामलों में अनधिकृत लेनदेन के कारण होता है जहां ग्राहक की लापरवाही के कारण नक्सान होता है।
8. बचत बैंक खाता का प्रयोग केवल गैर-व्यापारी/गैर-वाणिज्यिक लेन-देन के लिए किया जाना चाहिए। इस तरह के लेनदेन या किसी अन्य ऐसे लेनदेन की घटना की स्थिति में, जिसे संदिग्ध या अवांछनीय माना जा सकता है, बैंक के पास कार्य करने का अधिकार सुरक्षित है जैसा कि वह उचित समझता है।
9. ग्राहक खाता खोलने और संचालन और संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने के लिए निर्धारित प्रपत्र में आरबीएल बैंक में आवेदन करेगा। खाता खोलने का आवेदन करके, ग्राहक स्वीकार करता है कि उसने इन नियमों और शर्तों को पढ़ा है/समझा है और स्वीकार किया है।
10. बैंक निम्नलिखित परिस्थितियों में ग्राहक के खाते को फ्रीज करने के लिए अधिकृत है: अ. यदि बैंक को संदेह है कि खाते में लेनदेन ग्राहक द्वारा शरू नहीं किया गया है। ब. यदि बैंक को संदेह है कि ग्राहक के खाते का दुरुपयोग धन खच्चर के रूप में या अनधिकृत मनी पूलिंग के लिए एक चैनल के रूप में

- या किसी भी अवैध गतिविधि के लिए एक माध्यम के रूप में किया जा रहा है और ग्राहक को इस संबंध में पर्व सूचना प्राप्त नहीं होगी।
11. प्रचलित भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") के अनुसार। दिशानिर्देश, 24 महीने की अवधि के लिए कोई ग्राहक प्रेरित लेनदेन न करने वाले किसी भी खाते को "निष्क्रिय खाता" / "निष्क्रिय" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक बार जब किसी खाते को निष्क्रिय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो खाते में किसी भी लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी और ग्राहक को वैध पहचान और हस्ताक्षर प्रमाण के साथ आरबीएल बैंक की शाखा में जाना होगा। प्रस्तुत दस्तावेजों के सफल सत्यापन के बाद, खाते को सक्रिय कर दिया जाएगा। निष्क्रिय खाते को सक्रिय करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
 12. ग्राहक स्वीकार करता है और सहमति देता है कि बैंक अपने विवेकाधिकार पर समय-समय पर शर्तों (शुल्क सहित) को जोड़, इसमें सुधार या संशोधित कर सकता है और इस तरह के परिवर्तनों के बारे में ग्राहक को सूचित किया जाएगा, लेकिन व्यक्तिगत संचार उसे नहीं भेजा जा सकता है। शर्तें बैंक शाखाओं और बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी। बैंक सामान्य प्रकृति के नोटिस प्रकाशित कर सकता है जो ग्राहकों पर लागू होते हैं या अपनी वेबसाइट पर या अपने नोटिस बोर्ड पर या किसी अन्य मोड में जैसा कि बैंक द्वारा तय किया जा सकता है। इस तरह के नोटिस का वही प्रभाव होगा जो प्रत्येक ग्राहक को व्यक्तिगत रूप से दिए गए नोटिस का होता है।
 13. ग्राहक इस बात से सहमत है कि खाता खोलना और बनाए रखना और सेवाओं का लाभ उठाना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर पेश किए गए या संशोधित नियमों और विनियमों के अधीन है। इस घटना में कि इन शर्तों के किसी भी प्रावधान को किसी भी लागू कानून के उल्लंघन में माना जाता है या यदि किसी भी कारण से सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत इन शर्तों या उसके हिस्से के किसी भी प्रावधान को अप्रवर्तनीय पाती है, तो उस प्रावधान को अधिकतम सीमा पर लागू किया जाएगा।, इन शर्तों के इरादे को प्रभावित करने के लिए और इन शर्तों के शेष को प्रभावित करने के लिए, यह पूर्ण शक्ति और प्रभाव में जारी रहेगा। ये नियम और शर्तें ग्राहक और आरबीएल बैंक के बीच अनुबंध बनाती हैं।
 14. बैंक ग्राहक के खाते के बारे में जानकारी का खुलासा कर सकता है, यदि कानून, नियम या विनियमों द्वारा आवश्यक हो या अनुमति दी जाए, या किसी सार्वजनिक या नियामक प्राधिकरण के अनुरोध पर या यदि ऐसा प्रकटीकरण धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से या सार्वजनिक हित में ग्राहक (ओं) की विशिष्ट सहमति के बिना आवश्यक हो।
 15. वित्तीय और/या गैर-वित्तीय प्रकृति के खाते के संबंध में आरबीएल बैंक को कोई भी अनुदेश ग्राहक द्वारा केवल अधिकृत चैनलों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा, जो उस समय प्रचलित नियामक आवश्यकताओं के आधार पर बैंक द्वारा निर्दिष्ट किए जाएंगे। आरबीएल बैंक से उन निर्देशों पर कार्रवाई करने की अपेक्षा नहीं की जाती है जो अधिकत चैनलों के माध्यम से नहीं आते हैं, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपने विवेक पर कार्य करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
 16. बैंक केवल सूचना के लिए अलर्ट की सुविधा प्रदान कर सकता है और अपने विवेक पर इसे बंद कर सकता है। ये सभी सूचनाएं प्रचलित विनियमों द्वारा शासित एवं निःशुल्क हैं। खातों पर लेनदेन, प्रचलित बैंकिंग पद्धति द्वारा निर्देशित होते रहेंगे और बैंक सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर कुछ पूर्व-निर्धारित अलर्ट प्रदर्शित कर सकता है। हालांकि, बैंक समयबद्धता, पूर्णता, सटीकता और अलर्ट की सफल डिलीवरी या प्राप्ति के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।
 17. बैंक द्वारा किसी भी निर्देश या उनके संचार के सभी पत्राचार / वितरण केवल बैंक के साथ पंजीकृत पते और / या ईमेल पते और / संपर्क नंबर पर किए जाएंगे। बैंक को इसकी प्राप्ति न होने के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
 18. आरबीएल बैंक बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया (बीसीएसबीआई) का सदस्य है, जो भारत में एक अच्छी और निष्पक्ष बैंकिंग प्रैक्टिस को बढ़ावा देने के लिए एक स्वतंत्र निकाय है। आप हमारी वेबसाइट www.rbl.bank.in पर अपने ग्राहकों के लिए बैंकों की प्रतिबद्धता के बीसीएसबीआई कोड देख सकते हैं।
 19. ग्राहक शिकायत के त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए बैंक के पास एक स्पष्ट रूप से परिभाषित शिकायत निवारण प्रक्रिया है। अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए, कपया शाखा प्रबंधक या हमारे फोन बैंकिंग अधिकारियों से संपर्क करें। आप अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए www.rbl.bank.in पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो, तो शिकायत आपके क्षेत्र के क्षेत्रीय नोडल अधिकारी और प्रधान नोडल अधिकारी को भेजी जा सकती है। नोडल अधिकारियों के संपर्क विवरण हमारी शाखाओं और वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं। हमारी शिकायत निवारण नीति के लिए लिंक देखें: <https://bit.ly/4dgmUfw>

C. आरबीएल बैंक की घोषणा:

आरबीएल बैंक बकाया राशि की वसूली के लिए वसूली एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग कर सकता है। स्टाफ के सभी सदस्यों या बैंक का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किसी भी व्यक्ति के लिए ऋणी औं के साथ अपने व्यवहार को नियंत्रित करने वाली उचित प्रथाओं और आचार संहिता का पालन करना आवश्यक होगा। बैंक अपने कर्मचारियों और/या वसूली एजेंसियों/सेवा प्रदाताओं के कर्मचारियों के अनुचित व्यवहार के लिए हर समय जवाबदेह होगा और ऋणी द्वारा उठाई गई शिकायतों का समय पर निवारण प्रदान करेगा।

D. ई-केवाईसी के लिए विशिष्ट शर्तें:

आधार/लिंकिंग सहमति: मैं/हम, इसके द्वारा आरबीएल बैंक को अपने खाते के साथ आधार को लिंक करने के लिए अधिकृत करता हूँ। मैं/हम अपना आधार नंबर जमा करते हैं और स्वेच्छा से निम्नलिखित के लिए अपनी सहमति देते हैं:

- यूआईडीएआई से मुझे प्रमाणित करने के लिए मेरे/हमारे आधार विवरण का उपयोग करें।
- मुझे एसएमएस अलर्ट भेजने के लिए आवेदन पत्र मैं प्रस्तुत किए गए मेरे/हमारे मोबाइल नंबर का उपयोग करें।
- अपने बैंक के साथ मेरे सभी मौजूदा/नए/भावी खातों और ग्राहक प्रोफाइल (सीआईएफ) के साथ आधार संख्या को लिंक करें।

मैं इसके द्वारा आरबीएल बैंक को अधिकृत करता हूँ मेरे ऋण संवितरण दस्तावेजों की पावती के उद्देश्य के लिए, यूआईडीएआई की आधार पर आधारित बायोमैट्रिक सेवाओं के माध्यम से मेरी पहचान के प्रमाणीकरण के लिए मेरे आधार/वर्चुअल आईडी विवरण का उपयोग करें।

मैं उपरोक्त नियमों और शर्तों से सहमत हूँ और स्वीकार करती हूँ।

ऋणी का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

ऋणी का नाम: _____